

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला-रीवा (म०प्र०)

:आदेश:

रीवा दिनांक 07/08/2020

क्रमांक/854/आ०का०/2020 : मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक/एफ 10-02/2020/2017/मेडी-2, भोपाल दिनांक 07 मार्च 2020 के परिपेक्ष्य में मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 अंतर्गत नोबल कोरोना वायरस वीमारी अधिसूचित की जा चुकी है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म०प्र० भोपाल का पत्र क्रमांक आईडीएसपी/2020/272, दिनांक 24.03.2020 एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस COVID-19 महामारी की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट प्लान जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक/प्र०स०/स्वास/सहस्र/मेडी-3/596, भोपाल दिनांक 23 मार्च 2020 द्वारा म०प्र० पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) एवं 71(2) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुये निम्नलिखित आदेश जारी किया जाता है:-

1. हनुमना क्षेत्र में पाये गये COVID-19 संक्रमित पाजिटिव केस से संबंधित घर एवं उसके आस-पास के घरों की जानकारी निम्नानुसार है।

संक्र०	स्थान का नाम
1.	वार्ड क्रमांक 06 ग्राम पटेहरा ग्राम पंचायत पटेहरा राजस्व निरीक्षक मण्डल पहाडी तहसील हनुमना

2. रवी साकेत पिता रामलखन साकेत के घर को Epicenter घोषित करते हुये वार्ड क्रमांक 06 ग्राम पटेहरा ग्राम पंचायत पटेहरा राजस्व निरीक्षक मण्डल पहाडी तहसील हनुमना में पूर्व में मुख्य सड़क एन.एच. 135 से पश्चिम में खेत खलिहान तक तथा उत्तर में सुग्रीव साकेत का मकान से दक्षिण में वृजेन्द्र सोनी की मकान तक जाने वाले रास्ते को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया जाता है। इस क्षेत्र के समस्त घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्यतः किया जावेगा।
3. कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन हेतु मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी The Epidemics Covid-19 Regulation 2020 अंतर्गत उक्त कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस हेतु निम्नानुसार दल गठित किया जाता है:-

क्षेत्र	इंसीडेन्ट कमांडर	राजस्व अधिकारी	पुलिस अधिकारी	जनपद अधिकारी	पी.डब्ल्यू.डी. अधिकारी
1	2	3	4	5	6
वार्ड क्रमांक 06 ग्राम पटेहरा ग्राम पंचायत पटेहरा राजस्व निरीक्षक मण्डल पहाडी तहसील हनुमना	श्रीमती माला त्रिपाठी अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग मऊगंज मो. नम्बर 9425186413	श्री अजय कुमार मिश्रा प्रभारी तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तहसील हनुमना मो.नं. 9176763675	श्री शैलेन्द्र शर्मा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मऊगंज मो. न. 9340789867	श्री एम.आर.मेहरा मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज.प. हनुमना मो. न. 8719974873	श्री एम०एल० सोनी अनुविभागीय अधिकारी पी. डब्ल्यू. डी. मऊगंज मो.न. 9827397810



क०प०उ०

//2//

4. कंटेनमेंट प्लान एवं कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु डॉ. पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हनुमना मो. नं. 9630849089 नोडल अधिकारी रहेंगे। तथा सहायक नोडल, परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास हनुमना श्री शंखधर त्रिपाठी मो. नं. 9111555143 रहेंगे।

कंटेनमेंट एरिया

- 1- कंटेनमेंट एरिया के अन्तर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों का होम कोरेंटाइन में रहना उचित होगा। सन्दर्भित कार्यालयीन आदेशों के माध्यम से जो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है उसका सही तरीके से क्रियान्वयन हो सकेगा। अतः कंटेनमेंट एरिया के अन्दर भी आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
- 2- कंटेनमेंट एरिया को पेरीमीटर कंट्रोल किया जाना होगा जिसके अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के लोगों का बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा।
- 3- कंटेनमेंट एरिया हेतु रेपिड रिस्पांस टीम/मेडिकल मोबाइल यूनिट, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइड लाइन अनुसार कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे।
- 4- उक्त क्षेत्र के एंन्ट्री, एक्जिट पाइंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत स्क्रीनिंग की जायेगी।
- 5- समस्त वार्ड वार फ्रंटलाईन कार्यकर्ता/एपीसेन्टर से प्रति टीम पचास घरों का भ्रमण कर जानकारी लेते हुये निर्धारित प्रोफार्मा में रिपोर्ट डॉ. पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हनुमना मो. नं. 9630849089 को अनिवार्यतः उपलब्ध करायेगे, तथा डॉ बसंत अग्निहोत्री जिला टीकाकरण अधिकारी नोडल आफिसर मो.नं 9425185810 से समन्वय स्थापित करेंगे।
- 6- समस्त टीम COVID-19 सस्पेक्टेड केस की मानिट्रिंग प्रतिदिन करेंगे एवं COVID-19 संक्रमण की सम्भावित लक्षण जैसे बुखार, खासी स्वांस लेने में तकलीफ आदि लक्षण आने पर आर.आर टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेंगे।
- 7- समस्त COVID-19 संक्रमण के पॉजिटिव केस के परिजन, निकट संपर्क को होम कोरेंटाइन कराया जाना अति आवश्यक है जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सके।
- 8- जिनको होम कोरेंटाइन किया गया है उनका प्रतिदिन फॉलोअप लेना होगा (विजिट या दूरभाष के माध्यम से) जब तक की सस्पेक्टेड केस की रिपोर्ट रिजल्ट निगेटिव न आ जाये और रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो संबंधित के फर्स्ट कॉन्टेक्ट को 14 दिन तक होम कोरेंटाइन में रखना होगा एवं फोलोअप अतिरिक्त 14 दिन तक प्रतिदिन रखना होगा।
- 9- आगे संक्रमण फैलने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही अन्तर्गत संदिग्ध संक्रमित की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करते हुये समस्त संबंधितों (सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म में उल्लेखित) से अनिवार्यतः सम्पर्क किया जाकर उन्हें भी होम कोरेंटाइन करवाने की कार्यवाही व उनको भी प्रतिदिन सम्पर्क करते हुये सम्पर्क एवं ट्रेसिंग की रिपोर्टिंग किया जाना सुनिश्चित करें।
- 10- जनपद के जोनल अधिकारी द्वारा क्षेत्र का सेनेटाइजेशन किया जाना सुनिश्चित होगा।
- 11- सस्पेक्टेड केस आर.आर.टी./एम.एम.यू. द्वारा परीक्षण किये जाने तक एक अलग चिन्हित कमरे में आईसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित करना है एवं समस्त परिवार को फेस मास्क उपलब्ध कराते हुये हेण्ड हाईजीन और पर्ससन हाईजीन के प्रोटोकॉल पालन करवाना सुनिश्चित करें।

समस्त कार्यकर्ता पी.पी.ई. प्रोटोकॉल का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।



(इलैया राजा टी.)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला रीवा (म.प्र.)

कृ०प०उ०


//3//

रीवा दिनांक 07/08/2020

पुंक्र०/४५/प्रवा०कले०/2020



- 1- प्रमुख सचिव, गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
- 2- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
- 3- प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
- 4- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
- 5- प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल
- 6- कमिश्नर रीवा संभाग रीवा, की ओर सूचनार्थ।
- 7- पुलिस महानिरीक्षक, रीवा जोन रीवा की ओर सूचनार्थ।
- 8- पुलिस उप महानिरीक्षक, रीवा जोन रीवा की ओर सूचनार्थ।
- 9- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रीवा।
- 10- पुलिस अधीक्षक, जिला रीवा की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 11- अपर जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा।
- 12- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 13- अनुविभागीय दण्डाधिकारी, (समस्त) तहसील..... की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 14- जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास रीवा।
- 15- जिला अपूर्ति अधिकारी, जिला रीवा।
- 16- नगर पुलिस अधीक्षक, जिला रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 17- रेपिड रिस्पांस टीम/मेडिकल मोबाइल यूनिट, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 18- स्टेनो टू कलेक्टर/स्टेनो टू अपर कलेक्टर रीवा।
- 19- संबंधीजन श्रीकी ओर पालनार्थ।
- 20- सहायक संचालक, जन सम्पर्क रीवा की ओर प्रकाशनार्थ।


कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला रीवा (म०प्र०)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला-रीवा (म०प्र०)

:आदेश:

हनुमना दिनांक 07/08/2020

क्रमांक/854/प्रवा०कले०/2020 : मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक/एफ 10-02/2020/2017/मेडी-2, भोपाल दिनांक 07 मार्च 2020 के परिपेक्ष में मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 अंतर्गत नोबल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म०प्र० भोपाल का पत्र क्रमांक आईडीएसपी/2020/272, दिनांक 24.03.2020 एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस COVID-19 महामारी की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट प्लान जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक/प्र०स०/स्वास/सहस्त्र/मेडि-3/596, भोपाल दिनांक 23 मार्च 2020 द्वारा म०प्र० पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के सेक्शन 71(2) में प्रावधानित समस्त अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदत्त किए जा चुके हैं। मैं इलैयाराजा टी. , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रीवा (म०प्र) पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा सेक्शन 71(1) एवं 71(2) में निहित शक्तियों का उपयोग कर निम्नानुसार आदेश पारित करता हूँ।

COVID-19 महामारी की रोकथाम कोरोना पॉजिटिव मरीज को दृष्टिगत रखते हुये वार्ड क्रमांक 06 ग्राम पटेहरा ग्राम पंचायत पटेहरा राजस्व निरीक्षक मण्डल पहाडी तहसील हनुमना में पूर्व में मुख्य सड़क एन.एच. 135 से पश्चिम में खेत खलिहान तक तथा उत्तर में सुग्रीव साकेत का मकान से दक्षिण में बृजेन्द्र सोनी की मकान तक जाने वाले रास्ते को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया जाता है। कंटेनमेंट क्षेत्र के अतिरिक्त ग्राम के चारों ओर एक किलोमीटर का क्षेत्र बफर जोन माना जाएगा। जिसमें आई.एल.आई के मरीजों की पहचान एवं त्वरित जानकारी देना आवश्यक होगा। उक्त कार्य के संपादन हेतु निम्नानुसार अधिकारी/कर्मचारी के कर्तव्य निश्चित किए जाते हैं:-

सर्वेक्षण दल

दल क्र.	नाम	पद	मोबाइल नम्बर	वार्ड क्रमांक
1	श्रीमती स्वेता वर्मा	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	9179431088	वार्ड क्रमांक 06
2	श्रीमती माया मिश्रा	आशा कार्यकर्ता	9589176162	
3	श्री लखपती पटेल	प्राथमिक शिक्षक	9685468554	

पर्यवेक्षण दल

क्र.	नाम	पद	मो.नं.
1	श्री एल०बी० सिंह सेगर	स्वास्थ्य सुपरवाइजर	9424777779
2	श्रीमती पूर्णिमा बाजपेयी	आंगनबाड़ी सुपरवाइजर	6264147873

कृ०प०उ०



//2//

रिजर्व दल

क्र.	नाम	पद	मो.नं.	वार्ड क्रमांक
1	श्रीमती आशा पटेल	आंगनवाडी कार्यकर्ता	9977599573	रिजर्व दल
2	श्रीमती मुजुला द्विवेदी	आशा कार्यकर्ता	7247706502	
3	श्री राघोशरण पटेल	प्राथमिक शिक्षक	9229984047	

उपरोक्त कार्यवाही हेतु खण्ड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय हनुमना नियंत्रण कक्ष रहेगा। नियंत्रण कक्ष की सभी व्यवस्था डॉ. पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा खण्ड चिकित्सा अधिकारी हनुमना, वी०पी०एम० श्री सौरभ सिंह एवं वी०ई०ई० श्रीमती मीना मिश्रा हनुमना करेंगे। डॉ विवेक त्रिपाठी आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी कंटेनमेंट क्षेत्र में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्य देखेंगे तथा प्रतिदिन की रिपोर्ट सुपरवाइजर के माध्यम से प्राप्त कर खण्ड कार्यालय एवं जिला कार्यालय को दोपहर 03 बजे के पूर्व प्रेषित करेंगे।



(इलैया राजा टी.)

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला रीवा (म०प्र०)

रीवा दिनांक 07/08/2020

- प्रमुख सचिव, गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
- 2- प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भोपाल।
 - 3- आयुक्त रीवा संभाग रीवा, की ओर सूचनार्थ।
 - 4- पुलिस अधीक्षक रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 - 5- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 - 6- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 - 7- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 - 8- अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुभाग मऊगंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 - 9- रेपिड रिस्पॉंस टीम/मेडिकल मोबाइल यूनिट, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 - 10- स्टेनो टू कलेक्टर/स्टेनो टू अपर कलेक्टर रीवा की ओर सूचनार्थ।
 - 11- संबंधीजन श्रीकी ओर आदेश सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला रीवा (म०प्र०)